



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7360 सन् 2026

गणेश उर्फ गनेश

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अखिलेन्द्र यादव, विशाल श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और रिकॉर्ड पर लाए गए दस्तावेजों का अवलोकन किया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि पीड़िता ने अपने बयान में आवेदक पर बलात्कार का विशेष आरोप लगाया है, लेकिन मुकदमे की सुनवाई में पीड़िता (पी.डब्लू.-2) ने अपने बयान में आवेदक के विरुद्ध बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया है और उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है, जिसका बयान जमानत आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे के अनुलग्नक-7 के रूप में संलग्न है। अतः यह तर्क दिया गया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले को संदेह से परे साबित करने और आवेदक को दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कई अन्य दलीलें भी न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया है, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधिक प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। आगे उन्होंने निवेदन किया कि आवेदक 17.08.2024 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का यह कहकर विरोध किया है कि मुकदमे की समाप्ति से पहले आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। हालांकि, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है कि पीड़िता ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपने बयान में अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है।

4. सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता है। तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

5. आवेदक **गणेश उर्फ गनेश**, जिला कानपुर देहात के रानिया थानान्तर्गत मुकदमा अपराध सं. 163 सन् 2024 अन्तर्गत बी.एन.एस. की धारा 65(2), 351(2) और बाल यौन संरक्षण अधिनियम की धारा 5एम/6 के तहत आरोपी है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका भरने और दो स्थानीय जमानतदारों समान राशि में प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।

v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हतोत्साहित हो या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

6. उपरोक्त उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

26 फरवरी, 2026

मुस्तकीम

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।